

आदेश पत्रक

केश सं० -
केश का प्रकार -

सत्र- 115/1317
हल्का सं० पटना सदर

आदेश की तारीख	आदेश और पदधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में
---------------	-------------------------------	----------------------------------

आवेदक / आवेदिका श्री अनिल कुमार शुभा
 पिता / पति श्री श्रीवल्लभ शुभा
 सा० भद्रवाट इलाहाबाद रोड थाना-भालमण्डल पटना
 जिला पटना के ^{सामुदायिक}वाला 4375 दिनांक 11/04/13
 के आधार पर निम्नांकित भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया है।

जमीन का विवरण:-

<u>महल्ला</u>	<u>वार्ड नं०</u>	<u>शीट नं०</u>	<u>सर्किल नं०</u>	<u>हो० नं०</u>	<u>म्य० प्लॉट नं०</u>	<u>रकबा</u>
<u>इलाहाबाद</u> 115	<u>20/26</u>	<u>171</u>	<u>82</u>	<u>6/5/1</u>	<u>461</u>	<u>0.42</u> (सात फुट)

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन देने हेतु दें। अभिलेख दिनांक 12/11/13 को रखें।

<u>MS</u> अंचलाधिकारी पटना सदर	<u>MS</u> अंचलाधिकारी पटना सदर
--------------------------------------	--------------------------------------

अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। पक्ष आग महाल रैयत को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 03/05/13 को सुनवाई हेतु रखें।

<u>MS</u> अंचलाधिकारी पटना सदर	<u>MS</u> अंचलाधिकारी पटना सदर
--------------------------------------	--------------------------------------

अभिलेख उपस्थापित, महाल पर नोटिस तामिला प्राप्त है। सुनवाई के समय कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि का जमावन्दी कायम नहीं हैं। दिनांक 01.01.1956 से 107 प्रति कठ्ठा अलावे शेष की दर से लगान वसूली हेतु अनुशंसा किया है। अतः इनके अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त भूमि का लगान दिनांक 01-01-1956 से 107 प्रति कठ्ठा अलावे शेष दर से राजस्व लगान वसूल करने की 107 दी जाती है।
 शुद्धि पत्र निर्गत करें।
 लेखापति एवं संशोधित।

<u>MS</u> अंचलाधिकारी पटना सदर	<u>MS</u> अंचलाधिकारी पटना सदर
--------------------------------------	--------------------------------------

प्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत
दिनांक 03/05/13